सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2010–2011

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2010–11

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	I
2.	विभाग की स्थापना	1-2
3.	कार्य संपादन	3
4.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3-4
5.	राशन कार्ड	5
6.	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	5-8
7.	सतर्कता समितियां	8-10
8.	शुद्ध के लिये युद्ध	11
9.	रियायती दाल/आटा/खुली बिक्री वितरण	11-12
10.	आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	13-14
11.	एपीएल योजना	14
12.	बीपीएल परिवार	15
13.	अन्त्योदय अन्न योजना	16
14.	अन्नपूर्णा योजना	16-17
15.	राशन टिकिट योजना	17
16.	फूड स्टम्प योजना	17-18
17.	समर्थन मूल्य के अतंर्गत खरीद	18-19
18.	चीनी	19
19.	केरोसीन	20
20.	एलपीजी	21
21.	उपभोक्ता सुरक्षा	22
22.	जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु कार्यवाही	22
23.	उपभोक्ता संरक्षण	22-28
24.	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	28
25.	सूचना का अधिकार	28
26.	परिशिष्ठ– 1 से 8	29-50

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 564.73 लाख है। इस जनसंख्या में 432.68 लाख ग्रामीण और 132.05 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या 25.95 लाख है। इन सभी परिवारों के साथ ही सामान्य परिवारों के लिए भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरंभ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्गम 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों मे आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया था। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य

निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम **'खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले'** विभाग किया गया।

विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन संबंधित कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते है। प्रमुख रूप से विभाग के कार्य इस प्रकार से हैं –

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत खाद्यान्नों की खरीद।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए विभिन्न गतिविधियॉं का क्रियान्वयन।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैः–

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण कराना,
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों यथा– गेंहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना,
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना
- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना।
- उपभोक्ता आंदोलन को गति देने संबंधी कार्य करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य हैं–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स द्वारा तहसील /पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर संबंधित थोक विक्रेता के माध्यम से आवंटित वस्तुएं उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती है। राज्य में वर्तमान (दिसम्बर, 10) में कुल 176 थोक विक्रेता है।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 23491 उचित मूल्य की दूकाने स्थापित है, जिनमे से 5360 शहरी क्षेत्र में एवं 18131 दुकाने ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। विभाग के आदेश 15.11.2002 द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में 2000 ईकाइयों पर भी उचित मूल्य की दुकान खोली जा सकती है। संभाग एवं जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना **परिशिष्ठ "1"** पर अंकित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2010–11 मे विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं मे अप्रेल, 10 से दिसम्बर,10 तक आवंटन–उठाव परिशिष्ठ 2 पर स्थित है।

राशन कार्ड

राज्य में पृथक–पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक–पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था है।

योजना (परिवार)	राशन कार्ड का रंग	योजना की पात्रता (योग्यता)
1– एपीएल क– डबल गैस सिलेण्डर धारक ख– सिंगल गैस सिलेण्डर धारक	 नीला हरा	 सामान्य उपभोक्ता सामान्य उपभोक्ता
2– बीपीएल	गहरा गुलाबी	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार।
3– अन्त्योदय अन्न योजना	पीला	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित अंत्योदय अन्न परिवार

इसी प्रकार राशन कार्डों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है:–

- ए.पी.एल. : 122.73 लाख
- बी.पी.एल. : 16.63 लाख
- अन्त्योदय अन्न योजना : 9.32 लाख
- स्टेट बीपीएल : 9.63 लाख

उचित मूल्य दुकानों का आवंटन

उचित मूल्य की दुकान आँवटन के लिए रिक्त/उपलब्ध होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति गठित की हुई है। इस समिति में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रो के लिए निम्न प्रकार गठन किया हुआ है।

- **शहरी क्षेत्र हेतु**

समिति में विभागीय अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) के अतिरिक्त नगर निगम/ परिषद/ नगर पालिका का अध्यक्ष/प्रशासक या उसके द्वारा मनोनीत जन प्रतिनिधि/ अधिकारी, तहसीलदार, तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता, उपभोक्ता एवं महिला उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में सम्मिलित हैं।

- **ग्रामीण क्षेत्र हेतु**

समिति मे विभागीय अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) के अतिरिक्त सम्बधित ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, उपभोक्ता, महिला उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में सम्मिलित हैं।

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाती है। आँवटन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये जाते हैं।

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(1) खा.वि/विधि/2008 दिनांक 27.02..2009 के द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति /संस्था पर सहमति अथवा पात्रता के बारे में मतभेद होने पर कमेटी द्वारा की गई अभिशंषा को ज़िला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिला कलक्टर ऐसे प्रकरणो को स्वंय के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करेगे।आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपने अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रो पर विचार के समय निम्न प्राथमिकता क्रम को ध्यान में रखा जायेगा।

1. "महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो।"
2. सहकारी समितियां (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं)
3. शिक्षित बेरोजगार
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति
5. महिलायें–विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा।

- उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को प्राथमिकता क्रम के आधार पर उचित मूल्य दुकान आवंटित किये जाने का प्रावधान है।
- विभागीय आदेश क्रमांक 17(1) खा.वि./विधि/08 दिनांक 06.10.09 एवं 8.12.2010 के द्वारा उचित मूल्य दुकानो की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्रमशः 16, 12, 21 एवं 1 प्रतिशत आरक्षण होगा।
- उचित मूल्य की दुकानो की नियुक्ति में निःशक्तजनो के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। निःशक्तजनो के लिए आरक्षण प्रत्येक वर्ग यथा सामान्य, अ. जा.,अ.ज.जा. एवं अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियो को किये गये आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही देय होगा । अर्थात 3 प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक वर्ग में निःशक्तजनो की उपलब्धता के आधार पर दिया जायेगा।
- विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 17(11) खा.वि./विधि/09 दिनांक 22.01.2010 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2009–2010 के क्रियान्विति हेतु महिला सहकारी समितियो एवं जनजाति क्षेत्रो में लैम्प्स के माध्यम से

सहकारिता विभाग द्वारा चिन्हित स्थानो पर 500 उचित मूल्य दुकान आवंटित किये जाने हेतु जारी की गई सूची के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित 50 प्रतिशत कोटे में से उक्त उचित मूल्य दुकान आवंटित की जावेगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

सतर्कता समितियाँ

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन किया गया है–

- **जिला स्तरीय निगरानी समिति :–**

प्रत्येक जिले में दिनांक 03.09.09 को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन कर दिया गया है। जिला स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं। जिले में पदस्थापित सहकारिता विभाग का वरिष्ठतम प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नामित ऐसे तीन गैर सरकारी व्यक्ति जो उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में गहरी रूचि रखते हैं वे सदस्य एवं जिला रसद अधिकारी उक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

समिति की माह में कम से कम एक बैठक करनी होगी। आवश्यकतानुसार कमेटी एक माह में एक से अधिक मीटिंग भी आयोजित कर सकती है।

- **जिला स्तरीय सतर्कता समिति :–**

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया हुआ है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर है। जिले के समस्त सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति, जिले के समस्त नगर पालिकाओ/ परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/प्रशासक, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) सदस्य है तथा जिला रसद अधिकारी समिति के सदस्य सचिव है।

- **तहसील स्तरीय सतर्कता समिति–**

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है। जिसमें प्रधान पंचायत समिति अध्यक्ष है, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार उपाध्यक्ष है। शेष स्थानीय निकाय (नगर पालिका) के दो सदस्य, पंचायत समिति के दो सस्दस्य, स्थानीय विधायक, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा), सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य, समिति के सदस्य है तथा संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक इसके सदस्य सचिव है।

- **उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति–**

प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर सतर्कता समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद, अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता (2) उपभोक्ता (1) सेवा निवृत अधिकारी, कर्मचारी (स्थानीय निवासी) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच अध्यक्ष है, उपभोक्ता (1) संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक, सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) उपभोक्ता/सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता, पंच (1) सदस्य है। ये समितियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली वस्तुओं की आमद, वितरण व्यवस्था और दुकान संचालन पर निगरानी रखती हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय सतर्कता समितियॉ अलग से गठित हैं।

विभाग के परिपत्र कमांक एफ 97(3)खावि/साविप्र/97–II दिनांक 11.05.1999 द्वारा सतर्कता समितियों के गठन बाबत विस्तार से दिशा निर्देश जारी किये गये है। विभाग द्वारा सतर्कता समितियों में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु पुनः कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आदेश दिये गये है ताकि समितियां सशक्त रूप से अपने दायित्व को निभा सके। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए है :–

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है।
- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 27.02.2009 को जारी किये हुये हैं।
- शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदक के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बारां जिले की शाहबाद किशनगंज तहसीलों के लिए अनुसूचित जनजाति/सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रावधान किया हुआ है।
- प्रवर्तन अधिकारियो/निरीक्षकों के निरीक्षण व भ्रमण को प्रभावी बनाना।
- नियन्त्रित वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ओर प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनलोडिंग के समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, एएनएम, प्रधानाध्यापक अथवा किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।
- सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एक रूपता की गई है :–

माह	समय
उपभोक्ता सप्ताह 15 से 21 तारीख	प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक (अपराहन 1 से 2 बजे तक भोजन अवकाश)
1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक

साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है।

विभाग के इस वर्ष के अभिनव कार्य एवं योजनाऐं

(I) "शुद्ध के लिए युद्ध" :

राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी, जमाखोरी व मिलावट एवं दुरूपयोग को रोके जाने तथा प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए दिनांक 22 जून, 2009 से **"शुद्ध के लिए युद्ध अभियान"** चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के सार्थक परिणामों को देखते हुए जनहित में इस अभियान को निरन्तर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान खाद्य, उद्योग, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन तथा पशु पालन एवं डेयरी विभाग के समन्वय से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत खाद्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। 22 जून, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक **"शुद्ध के लिए युद्ध अभियान"** के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का **विवरण परिशिष्ठ – 2 (ब) पर संलग्न है।**

(II) रियायती दालों का वितरण :

राज्य में दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एवं उपभोक्ताओं को रियायती दर पर विभिन्न किस्म की दाल उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाहर से दालों एवं खाद्य तेल (सोयातेल) का आयात किया गया है।

(A) भारत सरकार की अनुदानित दर पर आयातित दाल योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 6276 मै. टन का एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से आयात किया गया। दाल मिलों के माध्यम से दाल तैयार कराई जाकर जिलों में आवंटित 5774 मै. टन मटर दाल का 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से जिला एवं तहसील मुख्यालयों के उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 2 किलो के पैक में उचित मूल्य की दुकान, उपभोक्ता भण्डार एवं डेयरी बूथों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मटर दाल वितरित की जा चुकी है।

इसी प्रकार 15000 मै. टन पीला मटर का एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से और आयात किया गया, जिसमें से विभाग को प्राप्त 12460 मै. टन पीला मटर से दाल तैयार कराई जाकर प्रदेश के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य दुकानों/ डेयरी बूथों एवं उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से प्रति राशन कार्ड 2 किलो मटर दाल दो माह में एक बार उपलब्ध कराई जा रही है। 31 दिसम्बर, 2010 तक 7723.448 मै.टन मटर दाल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष का वितरण जारी है।

(B) सोयातेल (खाद्य तेल):– भारत सरकार को आयातित खाद्य तेल योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा (भारत सरकार का उपक्रम) स्टेट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन (STC) नई दिल्ली के माध्यम से 5000 मै. टन सोया तेल का आयात किया जाकर माह नवम्बर, 2010 से जिला मुख्यालयों पर उचित मूल्य की दुकानों एवं उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से 41/– रूपये प्रति लीटर की दर से प्रति राशन कार्ड 1 लीटर के पोलिपैक में उपभोक्ताओं को दिसम्बर, 2010 तक 3071 के. एल. सोया तेल उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसका वितरण जारी है।

(III) एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आटा वितरण योजना :–

राज्य में मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए आटा वितरण की योजना लागू की गई। गेहूँ आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एवं उपभोक्ताओं को रियायती दर पर गेहूँ आटा उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य में प्रारम्भिक तौर पर सभी 7 संभागीय मुख्यालयों (अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर) की नगरीय सीमा में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आटा 5 जिला मुख्यालय (भीलवाड़ा, बाड़मेर, नागौर, चूरू एवं सिरोही जिलों को छोडकर) अन्य समस्त जिलों की नगरीय सीमा में एवं जयपुर, जोधपुर के सम्पूर्ण जिले में आटा एपीएल लाभार्थियों में वितरण मई, 2010 से लगातार किया जा रहा है। गेहूँ आटा योजना माह

अक्टूबर, 2009 से प्रारम्भ की गई है, जिसमें प्रति राशन कार्ड 5 एवं 10 किग्रा. की पैकिंग में 10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह 9.00 रूपये प्रति किग्रा. की दर से वितरण किया जा रहा है। इस योजना में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को माह दिसम्बर, 2009 तक 29477 मै. टन आटा वितरण किया गया है।

(IV) विशेष तदर्थ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (**TPDS**) के अन्तर्गत आवंटित (गेहूँ + चावल) आटा वितरण–

सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं (एपीएल, बीपीएल एवं अन्त्योदय) हेतु विशेष तदर्थ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अन्तर्गत प्राप्त गेहूँ एवं चावल का जिलों को उप आवंटन जारी किया जा चुका है। इस गेहूँ की विक्रय दर 9.50 रूपये प्रति किलो एवं इसका आटा भी बनाकर 11.20 रूपये प्रति किलो की दर से राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर माह जून, 2010 से लगातार वितरण किया जा रहा है।

चावल की विक्रय दर 13.00 प्रति किलो निर्धारित की गई है। इसका वितरण भी समस्त संभागीय मुख्यालय तथा शेष जिलों में भी कराया जा रहा है।

(V) एपीएल योजना में 9.50 रूपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो चावल प्रति राशन कार्ड प्रति माह अगस्त, 2010 से जनवरी, 2011 तक के लिए दिया गया है।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण योग्य वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित है :–

नाम वस्तु	बी.पी.एल. / स्टेट बीपीएल	अन्त्योदय अन्न योजना	अन्नपूर्णा	ए.पी.एल.
गेहूँ	रू. 2.00 (प्रति किलो)	रू. 2.00 (प्रति किलो)	निःशुल्क	रू. 7.00 (प्रति किलो)
चावल	रू. 6.50 (प्रति किलो)	रू. 3.00 (प्रति किलो)	–	रू. 9.50 (प्रति किलो)
खाद्यान्न की मात्रा (प्रतिमाह)	25 किग्रा	35 किग्रा	10 किग्रा	10 किग्रा

बी.पी.एल. परिवारों को चीनी 500 ग्राम प्रति ईकाई प्रति माह, रूपये 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जाती है। वर्तमान में नीला केरोसीन (डबल गैस सिलेण्डर धारक को छोड़कर) सिंगल गैस सिलेण्डर धारक को 2 लीटर एवं शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन 3 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड पर रूपये 13.75/– की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2005 की जनसंख्या ऑकड़ों पर उपरोक्त आवंटन मात्रा भारत सरकार से निर्धारित है, परन्तु राज्य में वर्तमान में बढ़े हुए उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर बी.पी.एल. /स्टेट बीपीएल परिवारों को 25 किग्रा. एवं ए.पी.एल. श्रेणी के परिवारों को 10 किग्रा. प्रति माह गेहूँ का आटा वितरण किया जा रहा है।

एपीएल योजना

सामान्य वर्ग के लोगों को एपीएल श्रेणी का माना गया है। इस योजना में वर्तमान में 122.73 लाख राशन कॉर्डो की संख्या है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एपीएल परिवारों के लिए गेंहूँ 7.00 पैसे प्रति किलोग्राम प्रतिमाह 35 किलोग्राम प्रति परिवार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश एपीएल परिवारों को लगभग 10 किलो. गेहूँ/आटा प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के एपीएल परिवारों के लिये 1,57,682 मैं. टन गेंहूँ प्रतिमाह को आवंटित किया जा रहा था। किन्तु माह जून, 06 से इसमें भारी कटौती करते हुए राज्य को आवंटन 17204 मैं. टन प्रतिमाह कर दिया गया। जिस पर विभाग द्वारा एपीएल मात्रा बढाने बाबत भारत सरकार को पत्र लिखे गये एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के विशेष प्रयासों से भारत सरकार से राज्य को नियमित आवंटन 17204 मै. टन से बढ़ाकर 64360 मै. टन मार्च 2010 से लगातार मार्च, 2011 तक के लिए कर दिया गया है। अगस्त, 2010 से जनवरी, 2011 तक 25744 मै. टन गेहॅं एवं 6436 मै. टन चावल भी भारत सरकार से राज्य को विशेष तदर्थ एपीएल योजना में प्राप्त हो गया है।

बीपीएल परिवार :

केन्द्र सरकार की योजनानुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 से प्रारम्भ की गई थी। बीपीएल सेन्सस 1997 के आधार पर राज्य में चिन्हित परिवारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 20.97 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में बीपीएल सेंसस 2003 के अनुसार 4.87 लाख बीपीएल परिवार हैं, इस प्रकार कुल बीपीएल परिवारों की संख्या 25.84 लाख हो गई है। इन 25.84 लाख बीपीएल परिवारों में से 9.32 लाख अन्त्योदय परिवारों को कम करने पर 16.52 लाख शुद्ध बीपीएल परिवारों की संख्या रह जाती है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विधान सभा में की गई घोषणा के अनुसरण में वर्ष 2002 के ग्रामीण बीपीएल सर्वे में पहली बार चयनित बीपीएल परिवार तथा स्टेट बीपीएल परिवार (वर्ष 1997 की बीपीएल चयनित सूची में चयनित तथा वर्ष 2002 की बीपीएल चयनित सूची से वंचित लाभार्थी) को माह मई, 2010 से 2.00 रूपये प्रति किलो की दर से 25 किलो गेहूँ प्रति माह प्रति परिवार खाद्यान्न देने की घोषणा की पालना में राज्य में 1663483 बीपीएल एवं 962850 स्टेट बीपीएल परिवारों को वितरण करने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही भारत सरकार से प्राप्त विशेष एक मुश्त बीपीएल गेहूँ आवंटन का जिलों को उप आवंटन 5.00 रूपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बीपीएल गेहूँ का आटा भी तैयार कर 7.00 रूपये प्रति किलो की दर पर 10 किलो के पैकेट में वितरण कराया जा रहा है। माह अक्टूबर, 2010 से पॉच माह तक के लिए ही वितरण किया जा रहा है।

इन्हें निम्नानुसार खाद्य सामग्री का आवंटन किया जाता है:-

	नाम सामग्री	मूल्य (रूपयों में)	मात्रा (प्रति माह)
बीपीएल	गेहूँ	2.00	25 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड
	चावल	6.50	
	चीनी	13.50	500 ग्राम प्रति यूनिट
	केरोसीन	13.75	2–5 लीटर प्रति राशन कार्ड

अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना मार्च, 2001 में प्रारम्भ की गई है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग को सहायता प्रदान करने के संकल्प को परिलक्षित करती है।

अन्त्योदय अन्न योजना के तहत वह परिवार/लक्षित समूह है, जो मुख्यतः बीपीएल परिवारों में से अत्यधिक गरीब है। इस योजना के अन्तर्गत लक्षित परिवारों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए अनुदानित दर पर गेंहूँ 2/– रूपये प्रति किलोग्राम एवं चावल 3/– रूपये प्रति किलोग्राम से प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

योजना में प्रारंभ से लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है :–

चयन हेतु अनुमत संख्या		चयनित परिवार (लाख)
सामान्य	3.72600	3.72600
प्रथम विस्तार 2003.2004	1.86500	1.86500
द्वितीय विस्तार 2004.2005	1.79000	1.79000
तृतीय विस्तार 2005.2006	1.94000	1,94,000
महायोग	9.32100	9,32,100

अन्नपूर्णा योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय वृद्ध व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को अधिकारिता पत्र (गुलाबी रंग का प्राधिकार पत्र) के आधार पर 10

किलोग्राम गेंहूँ प्रति माह निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों को गेंहूँ का वितरण त्रैमासिक रूप से किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2001–02 में चयनित व्यक्तियों के लिए ही भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है :–

चयनित वर्ष	चयनित लाभान्वित संख्या	10 किलो प्रति माह के अनुसार मांग (Kg. प्रति माह)	वर्तमान आवंटन (वार्षिक) (मै. टन)	दर
2001–02	105293	1052930	12635	निशुल्क

योजना में 2010–11 में आवंटन एवं उठाव **परिशिष्ठ – 2** एवं योजनावार परिवारों की सूची **परिशिष्ठ – 2** "अ" पर स्थित है।

राशन टिकट योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बीपीएल, अन्त्योदय योजना के राशन कार्डधारकों एवं अन्नपूर्णा के अधिकार पत्रधारियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों को लक्षित समूह तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राशन टिकिट योजना लागू की गई है। बीपीएल, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के पूर्व अंकित मात्रा के राशन टिकिट वर्ष 2009–10 के लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को वितरण किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिनका वितरण वर्ष 2010–11 में किया गया है। बीपीएल /अन्त्योदय अन्न योजना /अन्नपूर्णा योजना के उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को राशन कार्ड के साथ राशन टिकिट उपलब्ध कराने पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जावेगा।

फूड स्टेम्प योजना

वर्ष 2004 से प्रारम्भ की गई यह योंजना "भूख से मुक्ति" हेतु सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग को स्थानान्तरित हो गई है, जिसका क्रियान्वयन खाद्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस फूड स्टेम्प योजना के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के

सरपंचों को 10–10 किलोग्राम के 100 फूड स्टेम्प प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जा रहे हैं। खाद्यान्न के अभाव में भूख से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को तात्कालिक सहायता के रूप में 10 किलोग्राम गेहूँ का फूड स्टेम्प दिया जाता है। इस फूड स्टेम्प के आधार पर पीड़ित व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान से बिना कोई भुगतान किये (निःशुल्क) 10 किलो गेहूँ वर्ष में एक बार प्राप्त कर सकता है।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिंसों का संग्रहण (प्रोक्योरमेंट) किया जाता है–

रबी फसल– गेहूँ व जौ, धान (पैडी)

खरीफ फसल में मोटे अनाज यथा बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2009–2010	वर्ष 2010–11
रबी	गेहूँ	1080	1120
	जौ	680	780
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा व ज्वार	840	880
	मक्का	840	880

भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम व राजफैड द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2008–09 में 9.35 लाख मै.टन गेहूँ एवं वर्ष 2009–10 मे 11.52 लाख मै. टन एवं वर्ष 2010–11 में 475894 मै.टन गेहूँ की खरीद की गई है। खरीफ विपणन वर्ष

2009–10 में राज्य की विभिन्न मण्डियों में बाजरा व मक्का के भाव समर्थन मूल्य से अधिक रहने के कारण बाजरा व मक्का की कोई खरीद नहीं की गई है एवं वर्ष 2010–11 में बाजरा की 17.95 MT खरीद की गई

(ब) पैडी (धान) :

वर्ष 2008–09 में धान समर्थन मूल्य पर क्रय नहीं किया गया;तथा वर्ष 2008–09 में पैडी की खरीद शुन्य रही है । पैडी/धान का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया–

धान	दर रूपये प्रति क्विंटल
कामन	1000
ग्रेड–ए	1030

चीनी :

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 01.03.2000 की बीपीएल जनसंख्या के आधार पर फरवरी, 2001 से लगभग 7460 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा था, जिसे बीपीएल राशन कार्डधारकों को प्रति माह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था। जनवरी, 2009 से राज्य को 7458.1 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा है तथा अक्टूबर, 2010 व नवम्बर, 2010 में क्रमशः 10005.3 मै. टन चीनी का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसमें सुरक्षा बलों का कोटा भी शामिल है। इसे सभी जिलों से समानुपातिक रूप से आवंटित कर दिया जाता है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ठ – 3** पर संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या एफ. 17(45)खा.वि./विधि/76–II दिनांक 24.02.05 द्वारा घर से दूर अध्ययनरत छात्रों को प्रति राशन कार्डवार 500 ग्राम की मात्रा में प्रति माह लेवी चीनी उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान किया गया है। जिलों में छात्रों के राशन कॉर्ड बनाये जाने हेतु उनके संस्था/स्कूल/कॉलेज प्रमुखों को प्राधिकृति किया हुआ है तथा समस्त जिला रसद अधिकारियों को नोड़ल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

केरोसीन :

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से माह अगस्त, 2010 से (त्रैमासिक रूप में) प्रति माह 42636 के.एल. का आवंटन प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरण कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। वर्तमान में रसोई गैस के डी.बी.सी. होल्डर्स राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जाता है। रसोई गैस के सिंगल गैस कनेक्शन राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दो लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड तथा शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को 3 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड की मात्रा में वितरण किया जाता है। वर्षवार केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना परिशिष्ठ–4 पर संलग्न है।

माननीय खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार ऑयल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है कि केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों को 6 माह में भूमिगत स्टोरज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देश जारी किए गए हैं कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टेंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता है वह इसकी सूचना कलक्टर को दे और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील /एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टेंकर आ रहा है उसका सत्यापन किया जावे और डी.एस.ओ. कम्प्यूटर से ट्रांसमिशन करेंगे कि कौन–सा टैंकर कब और कहॉ के लिए रवाना हो रहा है।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान वितरण दर से वितरण कराने हेतु माह जुलाई, 2010 से केरोसीन की समान वितरण दर 13.75 रूपये प्रति लीटर कर दी गयी है।

एल.पी.जी. :

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों में दुरूपयोग आदि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रकरण बनाये गये है। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम में उपलब्ध हैं। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आईओसी, एचपीसी एवं बीपीसी तेल कम्पनियां कर रही हैं। उपरोक्त कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 2010 तक कुल 4744268 घरेलू गैस कनेक्शन हैं जिनमें से 2651791 डीबीसी एवं 2092477 सिंगल गैस कनेक्शन जारी किए हुए है।

माननीय खाद्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें रसाई गैस की आपूर्ति, नये गैस कनेक्शन जारी करने एवं बैकलॉग खत्म किये जाने के साथ टॉल फ्री नम्बर सिलेण्डर पर अंकित करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैसे-- हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना से लेकेर लाईसेंस निलम्बित /निरस्त करने तक की कार्यवाही की जायेगी।

उपभोक्ता सुरक्षा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में एक अतिरिक्त पूर्णकालिक मंच का गठन किया गया हैं। इस प्रकार वर्तमान में सभी 32 जिलों में पूर्णकालीन जिला मंच गठित है।

जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु कार्यवाही :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 केतहत कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने हेतु निरन्तर निगरानी की व्यवस्था है। इस कार्यवाही के तहत अप्रैल, 2010 से सितम्बर, 2010 तक 177 छापे मारकर 125.43 लाख रूपये की आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जब्त की गयी। 89 व्यापारी के अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य में वर्ष 2010–11 के सितम्बर, 10 तक की गई कार्यवाही का मानचित्र परिशिष्ठ – 5 पर संलग्न है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधिक सहायता योजना :

उपभोक्ता संरक्षण कानून की सार्थकता निर्धन/अक्षम उपभोक्ता को इस कानून का लाभ प्रदान करने में निहित है। वैधानिक रूप से वकील की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद उपभोक्ता मामलो में वकील उपभोक्ता मंचों में उपस्थित हो रहे है। इन परिस्थितियों में ऐसे निर्धन/अक्षम उपभोक्ता जो कि वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिये विधिक सहायता की एक योजना है। यह योजना राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ की जा चुकी है। जिले के एक चिन्हित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को इस योजना के लिये 10 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस राशि में से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन प्रत्येक प्रकरण के लिये अधिकतम रूप से 300/- रूपये की विधिक सहायता संबंधित वकील को पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय के लिए भुगतान करेगा। प्रकरण में निर्णय होने पर यदि निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में होता है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति एवं वाद खर्च के रूप में जो राशि अप्रार्थी से प्राप्त होगी उस राशि में से स्वैच्छिक संगठन अपने द्वारा व्यय की गई राशि उपभोक्ता से प्राप्त कर रसीद देगे और इस प्रकार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पास इस योजना के मद में रिवोल्विंग फण्ड बन सकेगा। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य के समस्त जिलों में यह योजना लागू की जा चुकी है।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तीकरण की योजना :

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जन जागृति के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका बढ़ाने हेतु उनका सशक्तीकरण किया जाना आवश्यक है। सभी जिला मुख्यालय में एक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य के लिये चिन्हित कर उसके सशक्तीकरण के लिए 50,000 रू. की राशि प्रदान किये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। इस योजना के लिए राज्य के सभी जिलों को प्रति जिला 50,000 रू. की राशी विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है। इस राशि से संगठन, कम्प्यूटर (प्रिन्टर सहित) खरीद सकेगे तथा शेष राशि आई. ई. सी. मैटेरियल तैयार करने में व्यय कर सकेगे। योजना के लिए स्वैच्छिक संगठन का चयन, उपभोक्ता क्लब योजना के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्वैच्छिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की मोनीटरिंग जिले के जिला रसद अधिकारी द्वारा की जायेगी।

विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों का गठन :

युवाओ एवं बच्चो में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं शिक्षण संस्थाओ के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण का प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से राज्य के 500 राजकीय सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयो का उपभोक्ता क्लब स्थापित करने के लिए शिक्षा सत्र 2004–05 में चयन किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित इस योजना के दूसरे चरण में राज्य के 500 राजकीय सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयों का चयन कर उपभोक्ता क्लब स्थापित किये गये है। इस प्रकार राज्य के 1000 राज्यकीय विद्यालयो में उपभोक्ता क्लब स्थपित है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थापित उपभोक्ता क्लबों हेतु भारत सरकार से 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसे उपभोक्ता क्लबों को आवंटित की जा चुकी है।

ऐसे अनेक उदाहरण मिल रहे है, जिनमें क्लब के सदस्य (छात्र) उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर अपने माता–पिता एवं अभिभावकों को उपभोक्ता अदालत में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा उन्हें सजग उपभोक्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष :

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा 27.00 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इतनी ही राशि (27.00 लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। इस कोष का संचालन विभाग की पंजीकृत संस्था, राजस्थान कल्याण समिति, जयपुर द्वारा किया जाता है। वित्त विभाग की आई.डी संख्या 20/13.03.09 की पालना में राजस्थान कल्याण समिति कोष से 27.50 करोड़ रूपये राज्य सरकार को स्थानान्तरित (वित्त विभाग को दिनांक 29.04.09) किया जा चुका है। विभाग द्वारा राज्य के जिला रसद अधिकारियों को 50–50 हजार रूपये की राशि

उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स लगाने के लिए दिनांक 22.06.2010 को आवंटित की गई है।

उपभोक्ता जागरूकता हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास :

उपभोक्ता हितों को सर्वोपरी रखते हुए राज्य में उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में आरंभ से ही महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। 'जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता' के साथ ही उपभोक्ता शिक्षा की दिशा में प्रभावी वातावरण निर्माण किए जाने के लिए राज्य में उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की जहां पहल की गयी है वहीं राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना भी की गयी है। राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम संबंधी विशेष आयोजनों के साथ ही उपभोक्ता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयास इस प्रकार से है–

जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र :

वर्तमान युग सूचना का युग है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने से ही उपभोक्ता आन्दोलन को सफल कहा जा सकता है। जागरुक उपभोक्ता सजग और सुरक्षित बन सकता है। अतः राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता सूचना एवं परामर्श केंद्र स्थापित किए जावेंगे। इन केंद्रों पर उपभोक्ताओं को उनके उपयोग की सूचनाऐं एवं उपभोक्ता कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। आगामी महिनों में इस योजना को क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम :

आम उपभोक्ताओं में उपभोक्ता जागृति के प्रसार के उद्देश्य से उपभोक्ता प्रदर्शनी का आयोजन प्रारम्भ किया गया है। पुष्कर मेले में स्थानीय स्वेच्छिक संगठन के सहयोग से उपभोक्ता प्रदर्शनी आयोजित की गई। विभाग की ओर से राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता चेतना से संबंधित नुक्कड नाटक भी आयोजित किये जा रहे हैं।

राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना :

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2010–11 के अनुसरण में कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में भी सर्किट बैंच स्थापित किए जाने के आदेश विभागीय स्तर से जारी किये जा चुके हैं तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु दिनांक 27.01.2011 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

उपभोक्ता निदेशालय :

राज्य विधानसभा में दिनांक 19.01.04 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपभोक्ता निदेशालय का गठन प्रस्तावित किया गया था। बाद में 09.03.2007 को मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में भी इस हेतु घोषणा की गयी। इसकी अनुपालना में निदेशक, उपभोक्ता मामले का प्रभार अतिरिक्त आयुक्त खाद्य को (As ex officio Director) नियुक्त किया गया। निदेशालय के पूर्ण गठन की तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही अभी होनी शेष है।

उपभोक्ता संरक्षण सबंधी प्रचार–प्रसार गतिविधियॉ

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन :

24 दिसम्बर, 2010 को राजस्थान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के सन्दर्भ में जयपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों यथा बस स्टेन्ड, रेलवे स्टेशन, सैन्ट्रल पार्क, छोटी चौपड़, बडी चौपड़, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। साथ ही राज्य स्तर पर उपभोक्ता चेतना रैली का भी आयोजन किया तथा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

23 दिसम्बर 2010 की सांय को (राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या) स्टेच्यू सर्किल पर उपभोक्ता जागृति "दीप ज्योति" कार्यक्रम आयोजित कर 6000 दीप जलाये गये।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में पेंटिंग एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर विजेताओं को पारितोषिक वितरण किए गए। उपभोक्ता क्षेत्र में सहभागिता हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया।

राज्य में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना :

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2010–11 के बजट में की गयी घोषणा के क्रियान्वयन में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु राज्य में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना की गयी है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय द्वारा मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 133/2010 दिनांक 22.07.2010 जारी की जा चुकी है। उक्त निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में सृजित पदों पर निगम स्तर से नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

उपभोक्ता हैल्पलाईन :

राज्य में शीघ्र ही केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार उपभोक्ता हैल्पलाईन स्थापित किये जाने संबंधी प्रक्रिया राज्य स्तर के अधीन विचाराधीन है।

उपभोक्ता जागृति अभियान–सीमित सहायता योजना :

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि को उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभाग ने यह योजना अप्रेल, 2007 में प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत 5000/– रूपयें से 50,000/– रूपयें तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। 5000/– रूपयें तक की सहायता जिला कलेक्टर स्वयं के स्तर पर प्रदान कर सकते है। इससे अधिक राशि की सहायता के लिए प्रकरण खाद्य विभाग मुख्यालय में विचारार्थ प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

चल प्रयोगशाला :

मिलावटियों के विरूद्ध मौके पर निःशुल्क जॉच किए जाने हेतु राज्य के सभी जिलों में चल प्रयोगशालाओं का शुभारम्भ दिनांक 19.04.2010 को किया गया है। चल प्रयोगशाला

द्वारा मौके पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी करने हेतु स्पॉट टेस्ट किए जाने वाले पदार्थों की सूची में खाद्य तेल, घी, पनीर,, दूध, मावा, पाऊडर आदि चाय, सुपारी, युपारी चूरण, मसाले आदि साबूदाना, शर्करा/चीनी, कॉफी, शहद, साधारण नमक, दाल, बेसन, आटा, बाजरा, अनाज, गेहूँ, गुड, हल्दी, मिर्च, करी पाऊडर जैसे सामान्य मसाले, पिसे मसाले, धनिया मसाला, मिर्च, हल्दी पाऊडर आदि काली मिर्च (साबुत), बड़ी इलायची, जीरा बीज, (काला जीरा), हींग, चांदी का वर्क आदि शामिल हैं।

वास्तविक आय व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2008–09, 2009–10 के वास्तविक आय–व्यय एवं वर्ष 2009–10 के संशोधित तथा 2010–11 के मूल प्रावधानों का विवरण **परिशिष्ठ– 7** पर एवं विभाग का प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ठ– 8** पर अंकित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के सभी शासन उप सचिव एवं उपायुक्त, सहायक खाद्य आयुक्त, मुख्य लेखाधिकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त (द्वितीय) को नोडल अधिकारी तथा सभी जिला रसद अधिकारियों को अपने–जिलों के लिए राज्य जन सूचना अधिकारी और सभी उपखण्ड अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्र के लिये राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी तथा खाद्य आयुक्त को प्रथम अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अनु0 (बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इसकी प्रति सभी जिला रसद अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों के कार्यालयों को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ विभागीय पत्र दिनांक 13.10.2005 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।

दिसम्बर, 2010 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	29	417	130	411	**159**	**828**	**987**
2	अलवर	19	103	83	786	**102**	**889**	**991**
3	बांसवाडा	2	48	98	469	**100**	**517**	**617**
4	बांरा	9	66	12	416	**21**	**482**	**503**
5	बाडमेर	8	58	195	682	**203**	**740**	**943**
6	भरतपुर	6	192	53	586	**59**	**778**	**837**
7	भीलवाडा	29	112	306	403	**335**	**515**	**850**
8	बीकानेर	242	21	424	94	**666**	**115**	**781**
9	बून्दी	3	92	39	250	**42**	**342**	**384**
10	चित्तौडगढ	12	95	101	407	**113**	**502**	**615**
11	चूरू	7	203	125	494	**132**	**697**	**829**
12	दौसा	1	63	27	592	**28**	**655**	**683**
13	धौलपुर	20	67	33	304	**53**	**371**	**424**
14	डूँगरपुर	3	43	108	357	**111**	**400**	**511**
15	गंगानगर	42	186	138	335	**180**	**521**	**701**
16	हनुमानगढ	33	174	37	432	**70**	**606**	**676**
17	जयपुर	25	679	104	746	**129**	**1425**	**1554**
18	जैसलमेर	9	19	31	256	**40**	**275**	**315**
19	जालौर	5	53	143	340	**148**	**393**	**541**

20	झालावाड	5	79	61	407	**66**	**486**	**552**
21	झुन्झुनू	4	150	51	533	**55**	**683**	**738**
22	जौधपुर	219	172	231	582	**450**	**754**	**1204**
23	करोली	5	74	60	401	**65**	**475**	**540**
24	कोटा	29	261	60	233	**89**	**494**	**583**
25	नागौर	6	194	87	825	**93**	**1019**	**1112**
26	पाली	12	148	206	399	**218**	**547**	**765**
27	प्रतापगढ़	0	32	43	208	**43**	**240**	**283**
28	राजसमन्द	7	46	74	331	**81**	**377**	**458**
29	सीकर	2	231	72	562	**74**	**793**	**867**
30	सिरोही	8	47	74	247	**82**	**294**	**376**
31	स. माधोपुर	1	92	15	425	**16**	**517**	**533**
32	टोंक	1	103	60	374	**61**	**477**	**538**
33	उदयपुर	26	211	186	777	**212**	**988**	**1200**
	योग	**829**	**4531**	**3467**	**14664**	**4296**	**19195**	**23491**

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का पिछले पांच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

1. गेंहूँ एपीएल :

(मात्रा मै. टन में)

1. गेंहूँ एपीएल

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2006–07	526954	153529	29.14
2	2007–08	290948	236554	81.30
3	2008–09	343114	287664	83.84
4	2009–10	772320	757473	98.08

अप्रेल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,10	64360	73671	114.47
2	मई, 10	64360	61929	96.22
3	जून, 10	64360	62353	96.88
4	जुलाई,10	64360	60809	94.48
5	अगस्त,10	64360	62275	96.76
6	सितम्बर,10	64360	63735	99.03
7	अक्टूबर,10	64360	63061	97.98
8	नवम्बर 10	64360	62686	97.40
9	दिसम्बर 10	64360	62538	97.17
	योग:–	**579240**	**573057**	**98.93**

2. बीपीएल गेहूँ का आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2006—07	434272	415671	95.72
2	2007—08	408640	385339	94.30
3	2008—09	595800	589606	98.96
4	2009—10	629532	618503	98.25

अप्रेल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,10	52461	50638	96.53
2	मई, 10	52461	52998	101.02
3	जून, 10	52461	52481	100.04
4	जुलाई,10	52461	53347	101.69
5	अगस्त,10	52461	52162	99.43
6	सितम्बर,10	52461	52313	99.72
7	अक्टूबर,10	52461	51832	98.80
8	नवम्बर 10	52461	51984	99.09
9	दिसम्बर 10	52461	52302	99.70
	योगः—	**472149**	**470057**	**99.56**

3. अन्त्योदय अन्न योजना के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2006–07	374394	341639	91.25
2	2007–08	378600	357826	94.51
3	2008–09	389340	380565	97.75
4	2009–10	391488	383830	98.04

अप्रेल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,10	32624	31652	97.02
2	मई, 10	32624	32264	98.90
3	जून, 10	32624	32266	98.90
4	जुलाई,10	32624	31777	97.40
5	अगस्त,10	32624	31701	97.17
6	सितम्बर,10	32624	32669	100.14
7	अक्टूबर,10	32624	32546	99.76
8	नवम्बर 10	32624	30671	94.01
9	दिसम्बर 10	32624	31563	96.75
	योग:–	**293616**	**287109**	97.78

4. अन्नपूर्णा गेंहूँ के आवंटन एवं उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2006—07	12635	11626	92.01
2	2007—08	12635	11655	92.24
3	2008—09	12635	11536	91.30
4	2009—10	11521	10968	95.20

अप्रेल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,10	1053	338	32.10
2	मई, 10	1053	535	50.81
3	जून, 10	1053	2140	203.23
4	जुलाई,10	1053	948	90.03
5	अगस्त,10	1053	1087	103.23
6	सितम्बर,10	1053	953	90.50
	योगः—	**6318**	**6001**	**94.98**

5. एपीएल चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	575212	190	**0.03**
2006-2007	810936	9825	**1.21**
2007-2008	0	0	**0.00**
2008-2009	490	385	**78.57**
2009-2010	0	0	**0**
2010-2011 (नवम्बर तक)	25744	12617	**49.01**

6. बीपीएल चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	75574	19999	**26.46**
2006-2007	200934	100952	**50.24**
2007-2008	202392	146915	**72.59**
2008-2009	33732	26963	**79.93**
2009-2010	0	0	**0**
2010-2011	0	0	**0**

7. अन्त्योदय चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	3823	2318	**60.63**
2006-2007	11320	4518	**39.91**
2007-2008	12888	6435	**49.93**
2008-2009	2148	1180	**54.93**
2009-2010	0	0	**0**
2010-2011	0	0	**0**

परिशिष्ठ – 2 (अ)

योजनावार परिवारों की संख्या

क्र. स.	जिला	एपीएल परिवार	बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार	अन्त्योदय परिवार	अन्नपूर्णा लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	518642	34728	39192	26483	4078
2	अलवर	600204	45640	29546	32424	1872
3	बांसवाडा	149533	83253	60226	61577	3724
4	बांरा	210564	11866	23673	42327	5229
5	बाडमेर	431054	90202	37193	32392	3674
6	भरतपुर	369748	46230	25260	20194	1855
7	भीलवाडा	480213	62092	52428	43099	4355
8	बीकानेर	355240	86619	31641	23625	5336
9	बून्दी	198426	26973	26342	18851	786
10	चित्तौडगढ	312961	22555	50081	50901	1402
11	चूरू	306272	67668	32103	30000	4126
12	दौसा	293179	36423	15786	16872	837
13	धौलपुर	188560	21302	14360	13740	2025
14	डूँगरपुर	102803	89249	33470	52426	5014
15	गंगानगर	520723	68191	13079	17566	554

16	हनुमानगढ	399013	48149	21348	18031	3324
17	जयपुर	1243786	72823	42800	27861	1720
18	जैसलमेर	126347	19666	10389	8075	2893
19	जालौर	311476	50221	29533	32936	3200
20	झालावाड	287870	37355	30434	23062	2342
21	झुन्झुनू	452087	14582	17660	12314	2722
22	जौधपुर	684717	82690	17397	15695	5067
23	करोली	247250	43024	21582	26051	2833
24	कोटा	328268	60206	22758	18299	2920
25	नागौर	649578	50160	35738	24398	10456
26	पाली	412777	46427	31579	26746	2755
27	प्रतापगढ़	108844	39363	28710	25774	885
28	राजसमन्द	211094	37554	16607	28360	2006
29	सीकर	511974	30230	18830	13639	2851
30	सिरोही	219313	22945	20627	15128	1319
31	स. माधोपुर	260608	31708	28464	21975	6600
32	टोंक	253450	19194	28426	26324	2497
33	उदयपुर	488902	164197	55588	84956	4036
	योग	**12235476**	**1663485**	**962850**	**932101**	**105293**

परिशिष्ठ 2(ब)

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

"शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान की प्रगति रिपोर्ट

अवधि 22.06.09 से 31.12.2010 तक

क्र. सं.	विभाग	अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार पत्रधारी एवं अन्य	निरीक्षणों की संख्या	लिये गये सेम्पल की संख्या	निलम्बित लाईसों की संख्या	दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही								विशेष उल्लेखनीय कार्य का अधिक विवरण होने पर अलग से नोट संलग्न करे।
						अपमिश्रित पाये गये सैम्पलों की संख्या	दर्ज की गई एफ.आई.आर की (संख्या)	गिरफ्तार व्यक्ति	निरस्त लाईसेन्सों की (संख्या)	प्रतिभूति जब्त (संख्या)	प्रतिभूति जब्त (राशि.रू)	विभागीय कार्यवाहियों की (संख्या)	पी.एफ.ए. के तहत की गयी कार्यवाही/ चालान संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	खाद्य विभाग	उ.म.दुकान	5190	37	349	0	84	16	106	6519	622183	2094	0	0
		आर.टी.ए एल चीनी आदि	535	16	5	0	15	11	4	2022	8150	145	0	
		एल.पी.जी	455	21	2	0	5	0	0	5371	39600	140	0	
		पेट्रोलियम पदार्थ	577	53	7	0	47	54	4	1254	35200	244	0	
		वैरल पोइन्ट	111	7	0	0	0	0	5	52	10893	43	0	
		अन्य	0	0		0	48	31	0	0	0	0		0
		योग	6868	134	363	0	199	112	119	15218	716026	2666		
2	उद्योग विभाग	पेट्रोलियन पदार्थ एवं अन्य वस्तुओं के बाट,माप,तौल के मामले	2915	207	1	0	0	0	0	48	12302	770	3	
		योग	2915	207	1	0	0	0	0	48	12302	770		

3	कृषि विभाग	बीज,उर्वरक एवं कीटनाशक दवाईयों की गुणवत्ता की जांच	1635	3055	9	0	8	2	0	1	0	105	0	
	योग		1635	3055	9	0	8	2	0	1	0	105		
4	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	दूध, देशी घी, पनीर, नावा, मसाले, अन्य	15889	10120	30	1680	17	16	2	362	1713	267	1490	मावा 8699 कि.ग्रा सब्जी 5214 कि.ग्रा पनीर मिठाइ 3124 कि.ग्रा, घी, माईल्ड फैट 6047 कि.ग्रा, दुघ/दही 558 कि.ग्रा नष्ट कराया
		दीपावली के विशेष अभियान पर दिनांक 28.10.2010 से 07.11.2010 तक	4891	1103			4							
	योग		20780	11223	30	1680	21	16	2	362	1713	267	1490	
5	स्वायत्त शासन विभाग के मामले	फूड लाइसेन्स के अन्तर्गत सामग्री की गुणवत्ता की जांच	2706	251	0	0	0	0	0	0	0	172	0	
	योग		2706	251		0	0	0	0	0	0	172		
6	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	संकलित किये जा रहे दूध की जांच, डेयरी के नाम/मॉनोग्राम से नकली घी, दूध आदि के बेचान के प्रकरण	32530	7311	3	0	0	0	0	0	0	37	0	
			32530	7311	3	0	0	0	0	0	0	37		
	महायोग		67434	22181	406	1680	228	130	121	15629	730041	4017	1490	

परिशिष्ट – 3

8. लेवी चीनी के आवंटन एवं उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2006–07	34016	12237	35.97
2	2007–08	88497	11575	13.08
3	2008–09	99678	23457	23.53
4	2009–10	94583	36263	38.34

अप्रेल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि में

क्र.सं.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,10	7457.1	4388	58.84
2	मई, 10	7457.1	6613.3	88.68
3	जून, 10	7458.9	5939.9	79.64
4	जुलाई,10	7458.9	4593.7	61.59
5	अगस्त,10	7458.9	6912.2	92.67
6	सितम्बर,10	7461.6	6588.9	88.30
7	अक्टूबर,10	10010	10151.2	101.41
8	नवम्बर 10	10010	7090	70.83
9	दिसम्बर 10	7464	7179	96.18
	योगः–	**72236.5**	**59456**	**82.31**

9. केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा के.एल. में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2006–07	515604	513164	99.53
2	2007–08	515604	514126	99.71
3	2008–09	512587	511610	99.81
4	2009–10	511983	512420	100.09

अप्रेल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि में

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,10	42636	42648	100.03
2	मई, 10	42636	42460	99.59
3	जून, 10	42636	42474	99.62
4	जुलाई,10	42636	42608	99.93
5	अगस्त,10	42636	42616	99.95
6	सितम्बर,10	42636	42592	99.90
7	अक्टूबर,10	42636	41608	97.59
8	नवम्बर 10	42636	38884	91.20
9	दिसम्बर 10	42636	42616	99.95
	योगः–	**383724**	**378542**	**98.65**

परिशिष्ठ – 5

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की सूचना

क्र. स.	नाम	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	2006–07	993	76	171	10	95.77
2	2007–08	571	24	188	44	84.01
3	2008–09	798	22	213	8	101.77
4	2009–10	676	69	102	3	303.91

अप्रेल 2010 से सितम्बर 2010 की अवधि में (अनंतिम सूचना)

क्र. स.	नाम	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	अप्रेल,10	26	0	4	0	7.61
2	मई, 10	12	2	12	12	42.12
3	जून, 10	24	2	13	0	9.81
4	जुलाई,10	33	9	8	60	18.35
5	अगस्त,10	44	1	7	0	38.17
6	सितम्बर,10	38	0	17	0	9.35
	योगः–	**177**	**14**	**61**	**72**	**125.41**

विभाग द्वारा वर्ष में जारी किये गये महत्त्वपूर्ण आदेश व अधिसूचनायें

विभिन्न खाद्य वस्तुओं यथा चीनी एवं दालों के लिये राज्य सरकार द्वारा लाईसेंस व्यवस्था लागू कर स्टॉक सीमा तथा टर्न ओवर अवधि का प्रावधान लागू किया हुआ है। चीनी के लिये यह व्यवस्था माह मार्च, 2011 तथा दालों के लिये माह सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिये यह प्रावधान लागू किये गये हैं। स्टॉक सीमा एवं टर्न ओवर अवधि के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

चीनी		
डीलर	स्टॉक सीमा	टर्न ओवर अवधि
खुदरा डीलर थोक डीलर	25 क्विंटल 2000 क्विंटल	30 दिवस 30 दिवस
दालें साबुत एवं दली हुई (चना दाल के अलावा सभी प्रकार की सम्मिलित)		
डीलर	स्टॉक सीमा	टर्न ओवर अवधि
खुदरा डीलर थोक डीलर दाल मिलर्स (उत्पादक)	30 क्विंटल 1000 क्विंटल 1. साबुत के लिये 30 दिवस की उत्पादन क्षमता के बराबर 2. दली हुई के लिये 15 दिवस की उत्पादन क्षमता के बराबर	45 दिवस 45 दिवस 45 दिवस 45 दिवस
दालें साबुत एवं दली हुई (केवल चना एवं चना दाल के लिये)		
डीलर	स्टॉक सीमा	टर्न ओवर अवधि
खुदरा डीलर थोक डीलर	30 क्विंटल 3000 क्विंटल	45 दिवस 75 दिवस

दाल मिलर्स (उत्पादक)	1. साबुत के लिये 60 दिवस की उत्पादन क्षमता के बराबर 2. दली हुई के लिये 30 दिवस की उत्पादन क्षमता के बराबर	75 दिवस 75 दिवस

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशन सामग्री का लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित करने तथा वितरण में पारदर्शिता रखने एवं कालाबाजारी व पथविचलन (डायवर्जन) पर अंकुश लगाने के लिये प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख की अवधि के दौरान उपभोक्ता सप्ताह के रूप में राजकीय कर्मचारियों की उपस्थिति में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

- राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग से चिन्हित रिद्धी–सिद्धी योजना के अन्तर्गत महिला सहकारी समितियों को 300 उचित मूल्य की दुकान तथा लैम्प्स योजना के तहत 200 उचित मूल्य की दुकान कुल 500 उचित मूल्य की दुकानें महिला सहकारी समितियों को आवंटित करने के आदेश जारी किये जाकर जिलेवार सहकारी विभाग द्वारा आवंटित संख्या अनुसार उचित मूल्य की दुकान संचालित करने हेतु महिला सहकारी समितियों को प्राधिकार पत्र जारी कर दिये गये हैं।

- राज्य में रिक्त/नवसृजित लगभग 3800 उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाकर आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। आरक्षण व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु क्रमशः 16, 12, 21 एवं 1 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किये गये हैं। सभी प्रकार के आरक्षित वर्गों में से कुल 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्तजनों को दिया गया है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 40 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति, 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत स्थानीय अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों में 40 प्रतिशत सहरिया आदिम जाति, 5 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत स्थानीय अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जा रही है। आरक्षण की व्यवस्था को बिना प्रभावित किये प्रत्येक जिले में 10 उचित मूल्य की दुकान महिला स्वयं सहायता समूहों को भी आवंटित किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

- राज्य सरकार द्वारा मिलावट के विरूद्ध शुरू किये गये "शुद्ध के लिये युद्ध" अभियान को भविष्य में स्थायी तौर पर चलाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इस गंभीर समस्या पर लगातार पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में मौके पर मिलावट की जाँच किये जाने के लिये चल–प्रयोगशाला की व्यवस्था लागू की गई है। वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में चल–प्रयोगशाला कार्य कर रही हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उचित मूल्य दुकानों पर वितरित की जाने वाली नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं की देखरेख एवं निगरानी हेतु जांच एवं निरीक्षण करने के लिए स्थानीय सभी सासंद, विधायक, जिला प्रमुख एवं पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के सदस्यगण, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के पार्षद तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच/वॉर्ड पंचों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली राशन सामग्री की कालाबाजारी व दुरूपयोग एवं पैट्रोलियम पदार्थों में मिलावट, कम माप–तौल व एल.पी.जी. के डायवर्जन तथा नये कनेक्शन समय पर नहीं देने और अन्य सामग्री जबरन दिये जाने इत्यादि के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करने हेतु राज्य स्तर पर दो सतर्कता दलों का जिला रसद अधिकारियों की अध्यक्षता में गठन किया जाकर जांच/निरीक्षण किये जा रहे हैं। सतर्कता दलों के साथ ऑयल कम्पनी व बाट–माप विभाग के अधिकारी तथा ऑयल कम्पनियों की मोबाईल लैब भी जांच कार्य में साथ लगाई गई है।
- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु तहसीलवार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आवंटन सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्यों का गठन किया जाकर आदेश जारी कर दिये गये हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये गठित सतर्कता समितियों के स्थायी सदस्यों के कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

परिशिष्ठ–7 (बजट)

वर्ष 2008–09 व 2009–10 के वास्तविक आय–व्यय एवं वर्ष 2010–11 के मूल बजट प्रावधानों का विवरण :–

(रूपये लाखों में)

बजट शीर्ष / उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2008–09	वास्तविक व्यय 2009–10	मूल प्रावधान 2009–10	संशोधित प्रावधान 2009–10	मूल प्रावधान 2010–11
व्यय मद (मांग संख्या 32) 3456–नागरिक आपूर्ति, 001–निदेशक और प्रशासन (01)–खाद्य आयुक्त के माध्यम द्वारा					
[01]–मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयो.भिन्न)	263.36	299.91	350.33	319.48	340.89
[02]–जिला कर्मचारी वर्ग आयो.भिन्न) प्रदत्त्मत	1416.17	1554.05	2035.78	1838.20	1937.54
प्रभृत	0.13	0.28	0.01	0.28	0.01
196–(01)–(01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[03]–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयो.भिन्न)	788.03	878.28	1005.60	952.01	1034.11
[03]–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[03]– उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (के.प्र.यो.)	32.24	3.36	0.01	72.19	0.01
[04] उपभोक्ता मामले निदेशालय (आ.भि.)	6.21	7.25	8.92	7.97	8.47

कुल योग दत्त्मतः– प्रभृतः–	2511.0 1 0.13	2742.8 5 0.28	3400.6 4 0.01	3189.8 5 0.13	3321.02 0.01
3456–नागरिक आपूर्ति, 102–सिविल पूर्ति योजना (01)–खाद्यान्न संभरण (02)–वितरण (आयो.भिन्न)					
12–सहायतार्थ अनुदान (अन्त्योदय योजना) आयो. भिन्न	1488.40	1499.33	1500.00	1500.00	1500.00
53–अन्तर राशि का भुगतान (बीपीएल व स्टेट बीपीएल अन्न योजना)	0.00	0.00	0.01	0.01	24400.00
(के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[04] अन्नपूर्णा योजना (आयोजना)	564.42	520.56	700.00	600.00	689.57
अन्नपूर्णा योजना (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[05] खाद्यान्न बैंक की स्थापना (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[06] सहरिया परिवारों के लाभार्थ हेतु (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[07] राशन टिकिट योजना (आयोजना)	49.85	40.36	50.00	50.00	50.00
3456–102–789 (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3456–102–896 (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योगः– "सी"	**2102.67**	**2060.25**	**2250.00**	**2150.00**	**26639.57**
महायोग :– ("ए + बी + सी")	**4613.81**	**4803.38**	**5650.65**	**5339.98**	**29960.60**

वर्ष 2008—09 व 2009—10 के वास्तविक आय—व्यय एवं वर्ष 2010—11 के मूल पूंजीगत बजट प्रावधान का विवरण :—

(रूपये लाखों में)

बजट शीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक लेखे 2008—09	वास्तविक लेखे 2009—10	मूल प्रावधान 2009—10	संशोधित प्रावधान 2009—10	मूल प्रावधान 2010—11
मांग संख्या—32 5475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 102—सिविल आपूर्ति 09—उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला मंचों को आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण					
17—वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
वृहद निर्माण कार्य (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72—आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण (क.प्र.यो.)	33.62	5.97	0.01	32.46	0.01
योग (पूंजीगत परिव्यय)	**33.62**	**5.97**	**0.01**	**32.46**	**10.44**

वर्ष 2008—09 व 2009—10 के वास्तविक आय—व्यय एवं वर्ष 2010—11 के मूल पूंजीगत बजट प्रावधान का विवरण :—

(रूपये लाखों में)

राजस्व मद/उपमद	वास्तविक लेखे 2008—09	वास्तविक लेखे 2009—10	मूल प्रावधान 2009—10	संशोधित प्रावधान 2009—10	मूल प्रावधान 2010—11
1475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां 800—अन्य प्राप्तियां 04—अन्य विविध प्राप्तियां					

(01) खाद्य विभाग के माध्यम से	290.29	153.71	86.44	180.00	185.00
05—परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां	436.14	3088.75	488.35	3036.00	450.00
06—अन्तर राशि से प्राप्तियां					
01—खाद्यान्न से	4.23	7.40	13.45	2.81	3.05
02—केरोसीन से	0.08	22.23	0.26	0.09	0.09
07—उपभोक्ता संरक्षण के जिला मंचों में परिवाद दायर करने हेतु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योगः—	**686.63**	**3272.09**	**588.50**	**3218.90**	**638.14**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रशासनिक संरचना

राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त

(1)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले

(1)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव	सहायक आयुक्त	सहायक निदेशक स. (सांख्यिकी)	विधि परामर्शी	वित्तीय सलाहकार
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी	जि.र.अ. (सतर्कता)	सहायक लेखाधिकारी
(1)	(1)	(2)
कार्यालय अधीक्षक	प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निरीक्षक
(1)	(2)	(2)

संभाग स्तर

संभागीय आयुक्त (मुख्यालय)

(7)

सहायक जिला रसद अधिकारी (संभागीय आयुक्त कार्यालय)

(6)

जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद (33)

जिला रसद अधिकारी (34)

अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी (2)

सहायक जिला रसद अधिकारी (6)

(संभागीय जिला मुख्यालय हेतु)

प्रवर्तन अधिकारी (102) प्रवर्तन निरीक्षक (253)

- बीपीएल, अन्त्योदय एवं असहाय परिवारों को खाद्य सुरक्षा
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर